राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
जयपुर, दिनांक : 12 SEP 2024

सं. एफ. 2(41)वित्त/कर/2015-97:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(41)वित्त/कर/2015-97 दिनांक 16.08.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : अगस्त 16 2024

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं.16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कोटा शहर गैस वितरण कारबार के अंतरण के संबंध में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के पक्ष में गेल गैस लिमिटेड द्वारा निष्पादित कारबार अंतरण करार दिनांक 18.04.2017 की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

सं. एफ. 2(41)वित्त/कर/2015-97
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव''

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) मे प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निजी सचिव, सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग ।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग ।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव